राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 40(14) ग्रावि/नरेगा/तक. मार्ग./पार्ट–2/2011 जयपुर, दिनांक: 12

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
उदयपुर/बूंदी

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यो के लंबित उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्रों के समायोजन एवं लागत में वृद्वि के कारण श्रमिकों के बकाया भुगतान के संबंध में।

प्रसंगः– अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम, ईजीएस उदयपुर का पत्रांक एफ 17 (985)/एमजीनरेगा/जिपउ/4238 दि. 10.10.12 एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम, ईजीएस, बूंदी का पत्रांक एमजीनरेगा/2012–13/1411, दि. 27.9.12

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सम्पादित गत वर्षो के कार्यो के उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्रों के समायोजन तथा लागत में वृद्वि के कारण श्रमिकों के बकाया भुगतान बाबत मार्गदर्शन चाहा गया है। इस संबंध में गठित कमेटी की अनुशंषा के क्रम में निम्न निर्देश जारी किये जाते है :–

1. माह मार्च, 2012 तक सम्पादित कार्यो के प्रकरणों में विभागीय पत्र दिनांक 13.7.2011 के साथ संलग्न मार्गदर्शन बिन्दु संख्या 2 के प्रस्तावित समाधान में अंकित शर्त कि ''यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि स्वीकृत तकमीने के किसी भी आईटम की मात्रा में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्वि नहीं हो'' में एक बारीय छूट प्रदान की जाती है।

2. इस विभाग के पत्रांक एफ 40 (43) ग्रावि/नरेगा/यू.सी.समा/2011 दि. 17.2.2012 के बिन्दु संख्या 1 (ii) के क्रम में लेख है कि योजनान्तर्गत मार्च 2012 तक करवाये गये कार्यो में यदि व्यय मूल स्वीकृति से 50 प्रतिशत से अधिक किया गया है तो ऐसे प्रकरणों को जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। इस समिति में अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम), ईजीएस व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के साथ अन्य सदस्य इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 17.2.2012 के बिन्दु संख्या 1 (i) में 50 प्रतिशत तक के व्यय को नियमित करने हेतु गठित कमेटी के होंगे जिनमें अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (द्वितीय), ईजीएस, अधिशाषी अभियंता, ईजीएस तथा परियोजना अधिकारी (लेखा), जिला परिषद सम्मिलित हैं। यह समिति ऐसे प्रकरणों में करवाये गये कार्य का भौतिक सत्यापन करवायेगी तथा गुणावगुण के आधार पर व्यय के कारणों का परीक्षण करेगी। यदि कार्य मौके पर किया गया है, कार्य की गुणवत्ता

PTO

सही है तथा अधिक व्यय का कारण उचित है तो यह समिति उक्त कार्यो पर 50 प्रतिशत से अधिक व्यय का नियमन कर सकेगी। स्वीकृति से अधिक व्यय के कारणों का भी यह समिति विश्लेषण करेगी। यदि अधिक व्यय में किसी का दोष है तो दोषियों के विरूद्व भी कार्यवाही करेगी।

यह व्यवस्था केवल मार्च, 2012 तक सम्पादित हो चुके कार्यो के लिए उदयपुर व बून्दी जिलों के साथ अन्य सभी जिलों के लिए भी समान रूप से लागू की जा रही है। इसे भविष्य के लिए उदाहरण नहीं बनाया जावे। इस तरह के प्रकरणों में संबंधित कार्मिकों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कर राजस्व वसूली की जावे।

भवदीय,

(खजान सिंह)
परि.निदे एवं पदेन उपसचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर
4. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस (उदयपुर व बूंदी को छोडकर)समस्त।
5. निजी सचिव, अति. आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस
6. मुख्य वन संरक्षक, ईजीएस, वन विभाग, वन भवन जयपुर।
7. मुख्य अभियंता (एस.एस), सा.नि.वि, जयपुर
8. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर
9. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस मुख्यालय, जयपुर।
10. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम), ईजीएस जिला परिषद समस्त। (उदयपुर व बूंदी को छोडकर)
11. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम), ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ईजीएस, जिला परिषद **उदयपुर एवं बूंदी** को प्रासंगिक पत्र के क्रम में प्रति भेजकर निवेदन है कि संबंधित प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से दिनांक 30.1.2013 तक आवश्यक रूप से अवगत करावे।
12. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त।

परि.निदे एवं पदेन उपसचिव, ईजीएस